



2026:AHC:63163

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2946/2026

दानिश @ समीर

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : दुबे अमित कुमार, देवेंद्र नाथ, मोहम्मद
आमिर, प्रभात कुमार सिंह

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

- आवेदक की ओर से दायर पूरक हलफनामे को रिकॉर्ड में ले लिया गया।
- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दुबे अमित कुमार देवेंद्र नाथ और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान एजीए श्री बी०पी० मोर्य की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत वर्तमान जमानत याचिका आवेदक की ओर से दायर की गई है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि उसे मुकदमा अपराध संख्या 376/2025 में जमानत पर रिहा किया जाए, जिसमें बी०एन०एस० की धारा 317(2), 317(4),

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



318(4), 338, 336(3), 340(2), 345(3), 3(5) और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो हापुड़ पुलिस स्टेशन, देहात, जिला हापुड़ में मुकदमे की सुनवाई के दौरान दर्ज किया गया है।

4. आवेदक के विद्वान वकील ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे किसी गुप्त इरादे से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि आवेदक और दो अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और यह बताया गया है कि उनके कब्जे से सात चोरी की मोटरसाइकिलें और तीन जाली पंजीकरण प्रमाण पत्र बरामद किए गए हैं। इसके अलावा यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक का आपराधिक इतिहास है, जिसका विवरण आज दाखिल किए गए पूरक हलफनामे में दिया गया है। आवेदक 04.11.2025 से जेल में बंद है, और वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए0जी0ए0 ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक और दो अन्य सह-आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि उनके कब्जे से सात चोरी की मोटरसाइकिलें और तीन जाली पंजीकरण प्रमाण पत्र बरामद किए गए हैं। इसके अलावा यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक का आपराधिक इतिहास है, जिसका विवरण आज दाखिल किए गए पूरक हलफनामे में दिया गया है। आवेदक 04.11.2025 से जेल में बंद है।

7. सभी तथ्यों, मामले की प्रकृति और अभिलेख में मौजूद साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, यह जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



8. उपरोक्त मामले में आरोपी **दानिश उर्फ समीर** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार जमानत पर रिहा किया जाएगा :-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।

(iii) आवेदक को ट्रायल कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित तिथियों पर उपस्थित रहना होगा: (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप तय करना और (iii) बी0एन0एस0एस0 की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करना।

(iv) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा, जब गवाह अवर न्यायालय में उपस्थित हों।

(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगा, या तो स्वयं या अपने वकील के माध्यम से।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले की खूबियों पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। अवर न्यायालय इस आदेश में कही गई

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी।

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

26 मार्च, 2026

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"